उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग,
हरिद्वार

संख्या :: **221/23/E-01/DR/PCS/2023-24** दिनांक :: 09 अक्टूबर, 2024

निस्तारण आदेश

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि विज्ञापन संख्या– A-2/E-1/PCS/2023-24, दिनांक 14 मार्च, 2024 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा मुख्य परीक्षा (लिखित प्रकृति)–2024 के संबंध में अभ्यर्थी श्री अभिलाष गैरोला द्वारा प्रत्यावेदन दिनांक 26.09.2024 के माध्यम से मुख्य परीक्षा शुल्क भुगतान हेतु अतिरिक्त अवसर प्रदान किये जाने के अनुरोध पर सम्यक् रूप से विचार करते हुए निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ–03 के अनुसार निस्तारित कर दिया गया है–

क्र.सं.	अनुरोधकर्ता का नाम श्री/सुश्री/सर्वश्री	निस्तारण
01.	श्री अभिलाष गैरोला **(अनुक्रमांक–125383)**	उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य (सिविल)/प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारम्भिक परीक्षा–2024 में सफल घोषित अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क जमा करने एवं मुख्य परीक्षा हेतु नगर का चयन किये जाने हेतु विज्ञप्ति संख्या–173/23/E-01/DR/PCS/2023-24, दिनाँक 02 सितम्बर, 2024 दैनिक समाचार पत्रों एवं आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की गयी थी, जिसके द्वारा ऑनलाइन लिंक दिनांक 07.09.2024 से दिनांक 21.09.2024 तक लाईव किया गया था। उक्त के संबंध में अभ्यर्थियों के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर शुल्क के संबंध में संदेश भी प्रेषित किया गया था। उक्त विज्ञप्ति के बिन्दु संख्या–06 में स्पष्ट उल्लेख किया गया था कि मुख्य परीक्षा हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि तक शुल्क जमा न करने वाले अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन विज्ञापन के बिन्दु संख्या–18 (ख) (2) के आलोक में निरस्त कर दिया जाएगा। अतः अभ्यर्थी श्री अभिलाष गैरोला, अनुक्रमांक–125383 द्वारा प्रत्यावेदन में किये गये मुख्य परीक्षा के लिए शुल्क जमा किये जाने के अनुरोध को अस्वीकार करते हुए प्रत्यावेदन निस्तारित कर दिया गया है।

-Sd-
(गिरधारी सिंह रावत)
सचिव।